22.12.17	वकील उभयपक्ष एवं पक्षकारान के मध्य विभाजन का दावा विचाराधीन है इसलिए उभयपक्ष वकील रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने पर सहमत हैं। अतः उभयपक्षकारान को तफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे भूमि खसरा नं० 1695, 1696, 1707, 1708, 1711, P.T.O.	Vaivel (?) [illegible]

	1713, 1839, 1840, 3147, 3148, 3149, 2396, 2474, 2475, 4018, 4019, 4022, 4037, 4038, 4039 स्थित ग्राम खवड़ीप के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे। सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)	